सं. 08/01/2015-एफ एफ(पी)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग

***

द्वितीय तल, एन डी सी सी-।। भवन,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 12 अगस्त, 2015

सेवा में

मुख्य लेखा नियंत्रक,
गृह मंत्रालय,
नोर्थ ब्लॉक,
<u>नई दिल्ली-110001</u>

विषय:- **दिनांक 01.08.2015 से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन (एस एस एस पी) स्कीम, 1980 के तहत स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों को महंगाई राहत की एक और किस्त प्रदान करना।**

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 16/20 अगस्त, 1997 के पत्र सं. 08/08/97-एफ एफ(पी) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्णय किया गया था कि केन्द्रीय सम्मान पेंशन को उपयुक्त ढंग से कीमत सूचकांक से जोड़ा जाए।

2. तत्पश्चात, वित मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से तथा जून, 1997 में औद्योगिक कामगारों (आई डब्ल्यू) संबंधी अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ए आई सी पी आई) को आधार मानकर विचार करने के उपरांत गृह मंत्रालय के दिनांक 14 अक्तूबर, 1998 के पत्र सं. 08/08/97-एफ एफ (पी) के तहत दिनांक 01 अगस्त, 1998 से पेंशन तथा आश्रित परिवार पेंशन के 7% की दर से महंगाई राहत मंजूर की गई थी।

3. केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संदर्भ में, वित मंत्रालय के परामर्श से महंगाई राहत को आवधिक रूप से संशोधित किया जाता है। **दिनांक 01.08.2015 से मंहगाई राहत में 20% की वृद्धि की गई है।** समय-समय पर संशोधित/बढ़ाई गई मंहगाई राहत को नीचे दर्शाया गया है:-

i. दिनांक 1.8.1999 से 20% की दर से
ii. दिनांक 1.8.2000 से 24% की दर से
iii. दिनांक 1.8.2001 से 28% की दर से
iv. दिनांक 1.8.2002 से 34% की दर से
v. दिनांक 1.8.2003 से 39% की दर से
vi. दिनांक 1.8.2004 से 44% की दर से
vii. दिनांक 15.8.2005 से 50% की दर से
viii. दिनांक 1.8.2006 से 58% की दर से
ix. दिनांक 1.8.2007 से 68% की दर से
x. दिनांक 1.8.2008 से 79% की दर से
xi. दिनांक 1.8.2009 से 96% की दर से
xii. दिनांक 1.8.2010 से 123% की दर से
xiii. दिनांक 1.8.2011 से 143% की दर से

(मीनू बत्रा)
(MEENU BATRA)
उप सचिव
Deputy Secretary

xiv. दिनांक 1.8.2012 से 165% की दर से

xv. दिनांक 1.8.2013 से 193% की दर से

xvi. दिनांक 1.8.2014 से 218% की दर से

xvii. दिनांक 1.8.2015 से 238% की दर से

4. स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन (एस एस एस पी) स्कीम के तहत विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों को, इन आदेशों के अनुसार दिनांक 01.08.2015 से देय महंगाई राहत निम्नानुसार होगी:-

क्रम सं.	**श्रेणी**	**मूल मासिक पेंशन की वर्तमान दर (दिनांक 02.10.2006 से) (रु.में)**	**दिनांक 01.08.2015 से देय मूल मासिक पेंशन की 238% की दर से महंगाई राहत (रु.में)**	**कुल पेंशन (रु.में)**
1(क)	पूर्व-अंडमान राजनैतिक कैदी	7,330/-	17,445/-	24,775/-
(ख)	ब्रिटिश इंडिया से बाहर यातना भोगने वाले स्वतंत्रता सेनानी (आई एन ए के अतिरिक्त)	6,830/-	16,255/-	23,085/-
2.	अन्य स्वतंत्रता सेनानी	6,330/-	15,065/-	21,395/-
3.	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	संबंधित मृतक स्वतंत्रता सेनानी के समान हकदारी		
4.	अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियां [एक बार में ऐसी अधिकतम तीन पुत्रियों के अध्यधीन]	सभी तीन पुत्रियों में प्रत्येक को 1,500/-रु.	सभी तीन पुत्रियों में प्रत्येक को 3,570/- रु.	5,070/-
5.	माता और पिता	प्रत्येक को 1,000/-	प्रत्येक को 2,380/-	3,380/-

5. इसलिए, आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक मामले में केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों तथा उनके पात्र आश्रितों के वर्तमान पेंशन भुगतान आदेशों (पी पी ओ) को आशोधित करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किया जाए ताकि ऊपर उल्लिखित सीमा तक महंगाई राहत के भुगतान को प्रभावी बनाया जा सके। **यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संशोधित महंगाई राहत अगस्त, 2015 माह की पेंशन के साथ भुगतान की जाए, और इसके पश्चात, बढ़ी हुई महंगाई राहत की वजह से किसी भी प्रकार के बकायों का भुगतान नहीं किया जाए।**

6. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ई.वी. शाखा द्वारा उनके दिनांक 12.08.2015 के आई डी सं. 1(7)ई वी/2004 के तहत दिए गए अनुमोदन तथा गृह मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग द्वारा उनके दिनांक 12.08.2015 के सी.एफ. 3305704/ए एस एंड एफ ए (एच) के तहत दी गई सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीया,

(मीनू बत्रा)

उप सचिव, भारत सरकार
टैलीफेक्स: 23438062
ई.मेल:Meenu.batra66@nic.in

सं. 08/01/2015-एफ एफ(पी) नई दिल्ली दिनांक 12 अगस्त, 2015

सूचना तथा समरूप कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि **(स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा)** अग्रेषित:-

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 [ध्यानार्थ:श्री विजय कुमार सिंह, निदेशक (प्रशासन)]
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, लेखा एवं व्यय विभाग, मुम्बई। यह अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 01.08.2015 से उपर्युक्त दरों के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।
4. प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, बाईकुला, मुम्बई-400008 (महाराष्ट्र)
5. मुख्य नियंत्रक (पेंशन), केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ), भीकाजी कामाप्लेस, त्रिकूट-II, होटल हयात रेजेंसी के पीछे, नई दिल्ली-110066
6. मुख्य लेखा नियंत्रक (पेंशन एवं विविध) जामनगर हाउस, नई दिल्ली-110011
7. लेखा अधिकारी, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003
8. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
9. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
10. सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव।
11. गृह मंत्री के निजी सचिव, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
12. गृह राज्य मंत्री (आर) के निजी सचिव, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
13. गृह राज्य मंत्री (सी) के निजी सचिव, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
14. सचिव (बी एम)/संयुक्त सचिव (एफ एफ आर)/अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (गृह), गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के निजी सचिव
15. स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
16. अनुभाग अधिकारी (आई टी) को इस अनुरोध के साथ आदेश की एक प्रति प्रेषित कि वे इसे गृह मंत्रालय की वेबसाइट (एफ एफ आर प्रभाग) पर डलवा दें।

12/8/15

उप सचिव,
भारत सरकार

(मीनू बत्रा)
(MEENU BATRA)
उप सचिव
Deputy Secretary
गृह मंत्रालय/MHA